प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं.....04/2022 दिनांक 15/10/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा **7,**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा.....

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....256.....समय.....4:35 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिनः शुक्रवार दिनांक 14/10/2022, समय 04.09 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – गुरूवार दिनांक 13/10/2022, समय 11.30 ए.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः पूर्व दूरी करीब 15 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– **पुलिस चौकी बहादूरपुर, पुलिस थाना–सदर अलवर, जिला अलवर**

बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री हाकिमदीन (ब) पिता का नाम :– श्री निजामुदीन

(स) जन्म तिथि :– उम्र 34 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः–ग्राम बर्डोद, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल आबाद बहादूरपुर, तहसील व जिला अलवर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कलवा राम जाति– जाटव, उम्र 58 साल, निवासी– ढण्डाका, पुलिस थाना– नगर,जिला– भरतपुर हाल मुख्य आरक्षक नं. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी – बहादूरपुर , थाना –सदर, जिला अलवर ।

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 06,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2022 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री हाकिमदीन पुत्र श्री निजामुदीन निवासी बर्डोद, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहादूरपुर , तहसील व जिला अलवर पर उपस्थित होकर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर विषयः– पुलिस चौकी बहादूरपुर PS सदर अलवर के रिश्वतखोर चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने हेतु : महोदय, निवेदन है कि मै ग्राम बर्डोद, तह. बहरोड जिला–अलवर का मूल निवासी हुं तथा पिछले 8–10 साल से बहादूरपुर मे खेती की जमीन खरीदकर परिवार सहित निवास कर रहा हु। माह जून 2022 के प्रथम सप्ताह में मेरे छोटे भाई नूर मोहम्मद की विधवा पत्नि जुबेदा को श्री पंकज वर्मा बहला फुसला कर भगा ले गया जिसकी मेरी मम्मी सुफेदी W/O निजामुदीन ने पुलिस थाना सदर अलवर में मुकदमा नं. 564/2022 दिनांक 20.06.2022 को दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमें की जॉच पुलिस चौकी इंचार्ज श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 कर रहा है। हमारे उक्त मुकदमें में जल्दी कार्यवाही करने के लिये व मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानो की नकल लेने के लिये कई बार मिला किन्तु उक्त हैड कानि. हमारे मुकदमे मे कोई कार्यवाही नही कर रहा है। और नाही 164 के बयानो की नकल दे रहा है। तथा मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है। दिनांक 10.10.2022 को मै बहादूरपुर के पूर्व सरपंच श्री रामसिंह शर्मा को अपने साथ लेकर श्री हरपाल सिंह हैड कानि. से मिला तो उसने हमारे मुकदमे मे हमारी मदद करने एवं मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानो की नकल देने की एवज मे मेरे से व श्री रामसिंह शर्मा से 6000 रू0 की रिश्वत की मांग की और मेरे से कहा कि ये काम फोकट में नही होते है, मैं रिश्वतखोर चौकी इंचार्ज बहादूरपुर श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कृप्या कानूनी कार्यवाही की कृपा करे। दिनांक 13/10/2022 प्रार्थी–हस्ताक्षर– हाकिमदीन S/O श्री निजामुदीन, जाति मेव उम्र 34 साल R/o बर्डोद, तह. बहरोड, जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहादूरपुर , तह. व जिला अलवर Mob- 9950588154"। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को

समय 12.30 पी.एम. पर अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये परिवादी श्री हाकिमदीन पुत्र श्री निजामुदीन निवासी बर्डोद, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहादूरपुर , तहसील व जिला अलवर से मेरा आपसी परिचय करवाया। परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री हाकिमदीन को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री हाकिमदीन ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " माह जून 2022 के प्रथम सप्ताह में मेरे छोटे भाई नूर मोहम्मद की विधवा पत्नि जुबेदा को हमारे गॉव बहादूरपुर से श्री पंकज कुमार वर्मा, निवासी नांगल नूनीया, हरियाणा बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसका मेरी मम्मी श्रीमती सुफेदी पत्नि श्री निजामुदीन ने पुलिस थाना सदर अलवर में मुकदमा नं0 564/2022 दिनांक 20.06.2022 को दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमें की जॉच पुलिस चौकी बहादूरपुर , पुलिस थाना सदर, अलवर के ईन्चार्ज श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 कर रहा है। मैं उक्त मुकदमें में आरोपी के खिलाफ जल्दी कार्यवाही करने के लिये एवं मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल लेने के लिये कईबार श्री हरपाल सिंह हैडकानि. से मिला किन्तु उक्त हैड कानि. हमारे मुकदमें में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नही कर रहा है और ना ही 164 के बयानों की नकल दे रहा है तथा मेरे से उक्त मुकदमें में हमारी मदद करने के नाम से एवं 164 के बयानों की नकल देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। दिनांक 10.10.2022 को मैं बहादूरपुर के पूर्व सरपंच श्री रामसिंह शर्मा को अपने साथ लेकर श्री हरपाल सिंह हैड कानि. से चौकी पर एवं सदर थाने पर मिला तो उसने हमारे उक्त मुकदमें में हमारी मदद कर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने एवं मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल देने की एवज में मेरे से श्री रामसिंह शर्मा समक्ष 6000 रू0 रिश्वत की मांग की और मेरे से कहा कि ये काम फोकट में नही होते है, इनमें खर्चा होता है। मैं रिश्वतखोर पुलिस चौकी ईन्चार्ज बहादूरपुर पुलिस थाना सदर, अलवर, श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05, पुलिस चौकी बहादूरपुर , पुलिस थाना सदर, अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है।" परिवादी ने उक्त आशय का प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा हमारे उक्त मुकदमें में हमारी मदद कर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने एवं मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल देने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 पुलिस चौकी बहादूरपुर द्वारा दिनांक 10.10.2022 को रिश्वत की बाते बहादूरपुर के पूर्व सरपंच श्री रामसिंह शर्मा के सामने करना बताया इसलिए परिवादी ने आगे की कार्यवाही में अपने साथी श्री रामसिंह शर्मा को भी साथ रखने के लिये बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की एवं मुकदमा नं0 564/2022 पुलिस थाना सदर, अलवर की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रतियों को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा।

दिनांक 13.10.2022 को समय 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि. 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री हाकिमदीन को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि. 460 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05, पुलिस चौकी बहादूरपुर के पास जाकर अपनी मम्मी द्वारा पुलिस थाना सदर में दर्ज करवाये गये मुकदमा नं0 564/2022 में आपकी मदद कर आरोपी के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने एवं अपने भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल देने के सम्बन्ध में श्री हरपाल हैड कानि. द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री हरपाल सिंह से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। इस पर परिवादी श्री हाकिमदीन ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री हरपाल सिंह हैड कानि. रिश्वत की बात मेरे से अकेले से नही करेगा क्योकि उसने मेरे से दिनांक 10.10.2022 को मेरे साथी श्री रामसिंह शर्मा पूर्व सरपंच बहादूरपुर के समक्ष ही 6 हजार रू0 रिश्वत मांग की है। इसलिए श्री हरपाल सिंह हैड कानि. रिश्वत सम्बन्धी बातचीत मेरे से श्री रामसिंह शर्मा के सामने ही करेगा। श्री रामसिंह शर्मा अभी मुझे बहादूरपुर में मौजूद मिल जायेगा और श्री हरपाल सिंह हैड कानि. से रिश्वत की बात करने के लिये मैं और वह दोनों साथ जायेगें। इस पर परिवादी के बतायेनुसार श्री महेश कुमार कानि. 462 को हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री हाकिमदीनके साथ बहादूरपुर जावे तथा बहादूरपुर में मौजूद परिवादी के साथी श्री रामसिंह शर्मा के समक्ष परिवादी श्री हाकिमदीन को उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी व

परिवादी के साथी श्री रामसिंह शर्मा को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादूरपुर, पुलिस थाना सदर, जिला अलवर के पास भेजे तथा परिवादीगण के साथ आसपास रहकर परिवादीगण व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री हाकिमदीन व श्री महेश कुमार कानि. 462 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। जिस पर श्री महेश कुमार कानि. 462 ने समय 06.48 पी.एम.पर जरिये मोबाईल वॉटसअप कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. के बारे में मालूम करवाया तो श्री हरपाल सिंह हैड कानि. ईलाके में गया हुआ है, जिसकी देर रात तक आने की संभावना है तथा परिवादी का साथी श्री रामसिंह शर्मा भी सरसों की बुवाई के कार्य में व्यस्त होने से आज परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपी के पास रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्तालाप करने हेतु रात के समय नही जा सकता और उसने दिनांक 14.10.2022 को प्रातः जल्दी ही परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल हैड कानि. के पास पुलिस चौकी बहादूरपुर पर जाने के लिये कहा है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेश कुमार कानि. को निर्देशित किया गया कि वह अपनी सुविधानुसार बहादूरपुर में ही रात्रि मुकिम रहे तथा दिनांक 14.10.2022 को प्रातः परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व परिवादी के साथी श्री रामसिंह शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु भिजवावें तथा बाद सत्यापन वार्ता के दोनों को हमराह लेकर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय अलवर उपस्थित आवें।

दिनांक 14.10.2022 समय 09.00 ए.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. 462 मय हमराह परिवादी श्री हाकिमदीनएवं श्री रामसिंह शर्मा के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि. 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री हाकिमदीन ने अपने साथ आये श्री रामसिंह शर्मा से मेरा आपसी परिचय करवाकर बताया कि मैं व श्री महेश कुमार कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर बहादूरपुर पहुचे, जहा पर हमें मेरा साथी रामसिंह शर्मा मौजूद मिला, जिससे श्री महेश कुमार कानि. ने प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत कर रामसिंह शर्मा के समक्ष मेरे को आपके विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर मुझे दिया। मुझे व मेरे साथी श्री रामसिंह शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 पुलिस चौकी बहादूरपुर के पास रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिये जाने हेतु कहा तो श्री रामसिंह शर्मा ने अपने आप को सरसों की बुवाई के कार्य में व्यस्त होना तथा आज दिनांक 14.10.2022 को प्रातः रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह हैड कानि. से वार्तालाप करने के लिये मेरे साथ जाने के लिये कहा तथा मैंने श्री हरपाल सिंह हैड कानि. का पुलिस चौकी पर मौजूद होने के बारे में मालुमात किया तो उक्त हैड कानि. का ईलाके में जाना ज्ञात हुआ। उक्त तथ्यों के बारें में आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि. ने मोबाईल कर आपको बता दिया था और श्री महेश कुमार कानि. रात में बहादूरपुर ही रूक गया था। इसके बाद आज दिनांक 14.10.2022 को श्री महेश कुमार कानि. ने बहादूरपुर में मेरे साथी श्री रामसिंह शर्मा के समक्ष समय करीब 07.37 ए.एम. पर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर मेरे को दिया, जिसे मैं साथ लेकर मय मेरे साथी श्री रामसिंह शर्मा पुलिस चौकी बहादूरपुर पर श्री हरपाल सिंह हैड कानि. के पास गये, जहा पर पहले तो मेरा साथी श्री रामसिंह शर्मा के पुलिस चौकी पर जाकर श्री हरपाल सिंह हैड कानि. के पास जाकर बैठ गया और उसके पीछे–पीछे ही मैं चला गया तथा आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि. चौकी के बाहर ही रूक गया था। मैंने व मेरे साथी श्री रामसिंह शर्मा ने चौकी पर मौजूद श्री हरपाल सिंह हैड कानि. से हमारे मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत की तथा मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल देने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री हरपाल सिंह हैड कानि. ने मेरे से हमारे मुकदमा 564/2022 में हमारी मदद कर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने एवं मेरे भाई की पत्नि के 164 के बयानों की नकल देने की एवज में 6,000 रू0 रिश्वत की मांग की। तत्समय मैने मेरे, श्री रामसिंह शर्मा व संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. 05 के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा मैंने उक्त टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि. को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि. ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैं व मेरा साथी रामसिंह शर्मा, श्री महेश कुमार कानि. के साथ आपके पास आ गये। पूछने पर परिवादी के साथी श्री रामसिंह शर्मा व श्री महेश कुमार कानि. ने परिवादी हाकिमदीन के उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि. द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, जिसमे परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसी दौरान परिवादी का साथी श्री रामसिंह शर्मा पूर्व सरपंच बहादूरपुर ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि वह अभी सरसों की फसल की बुवाई के कार्य में व्यस्त चल रहा है और उसको अभी घर जाकर सरसों की बुवाई का जरूरी कार्य करना है। इसलिए वह परिवादी हाकिमदीनके द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही में ही सम्मिलित रहकर आगे की कार्यवाही में परिवादी के साथ सम्मिलित नही रहने बाबत बताया।

परिवादी के साथी श्री रामसिंह शर्मा द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया जाकर श्री रामसिंह शर्मा को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकर आगे की कार्यवाही से फारीक किया जाकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा परिवादी श्री हाकिमदीन को कार्यालय में बैठाया गया।

तलबशुद्वा श्री राजवीर कानि. 443 एवं श्री रामजीत कानि. ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर को ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु तथा पाबन्दशुदा दोनो गवाहान श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री मुकेश नन्दन शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय अलवर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान से मन् पुलिस निरीक्षक ने आपसी परिचय कर कार्यालय मे पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री हाकिमदीन से उनका आपसी परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा दिनांक 13.10.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने – अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात **समय 11.00 ए.एम.** पर परिवादी श्री हाकिमदीन एव उक्त दोनो गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी श्री हाकिमदीनतथा संदिग्ध आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. नं. 5 पुलिस चौकी बहादूरपुर जिला अलवर के मध्य दिनांक 14.10.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा अपनी, अपने साथी रामसिंह शर्मा एवं आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात समय 1.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द ने गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हाकिमदीनको बतौर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा तो उक्त परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 12 नोट कुल राशि छः हजार रूपये निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण फर्द मे अंकित किया जाकर उक्त नोटो पर श्री रामसिंह कानि. 549 से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाकर नोटो के दोनो और फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी के शरीर पर पहने हुए कपडो की स्वतंत्र गवाह श्री सन्तोष कुमार से जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके पास उनके मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु / राशि या दस्तावेजात नही छोडते हुए उपरोक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे सभी नोटो को श्री रामसिंह कानि. 549 से परिवादी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे सुरक्षित रखवाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी एवं गवाहान को रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल / कॉल कर यथा संभव रिश्वत राशि देने का ईशारा करने की समझाईश की गई। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर उसके उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाईश की गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धुलवाये गये। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 14.10.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा मूल वार्ताओं का एस.डी. कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री हाकिमदीन को सुपुर्द किया गया। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट इत्यादि तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 14.10.2022 को समय 2.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं ए.सी.बी. स्टाफ सदस्य सर्व श्री भौरेलाल हैड कानि. 33, नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50, हरीश चन्द कानि. 503, रामजीत कानि. 209, श्री रामवीर कानि. एसीबी चौकी अलवर द्वितीय के मय ट्रैप बॉक्स, सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर सहित साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन एवं दो मोटर साईकिलो से तथा परिवादी श्री हाकिमदीन एवं श्री महेश कुमार कानि.462 को परिवादी की मोटरसाईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब बहादूरपुर जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि. 549 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया।

समय 3.50 पी.एम. पर बहादूरपुर पहुंच कर वाहनो को पुलिस चौकी बहादूरपुर से कुछ दूरी पहले रूकवाकर परिवादी श्री हाकिमदीन के पास रखे हुये राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालु करवाकर उसे सूपुर्द करके उसे उसकी मोटर साईकिल से ही पुलिस चौकी बहादूरपुर के लिये रवाना किया। उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को अलग–अलग रवाना करके पुलिस चौकी बहादूरपुर के पास पहुंचकर पुलिस चौकी बहादूरपुर के आसपास खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार मे मुकीम हुये।

समय 04.09 पी.एम. पर परिवादी श्री हाकिमदीन ने पुलिस चौकी बहादूरपुर, पुलिस थाना सदर जिला अलवर से बाहर निकल कर कुछ दूरी पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि उक्त पुलिस चौकी के अन्दर अपने कार्यालय मे बैठे श्री हरपाल सिंह, हैड साहब ने मेरे से अभी अभी 06,000 रूपये की रिश्वत अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करके अपने दोनो हाथों से नोटो को गिनकर उनके बैठने की कुर्सी के सामने रखी हुई टेबल की आगे की साईड मे रखी एक प्लास्टिक की टोकरी के नीचे रखे कागजो के नीचे टेबल पर नोटो को उसने अपने हाथ से रखे है तथा वह अभी वही पर बैठा हुआ है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक उक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सदस्यो तथा परिवादी श्री हाकिमदीन को अपने साथ लेकर पुलिस चौकी बहादूरपुर के परिसर मे प्रवेश किया तो उक्त परिसर मे दाहिने हाथ की तरफ स्थित पुलिस चौकी बहादूरपुर के कार्यालय कक्ष के अन्दर सामने कुर्सी पर सादा वस्त्र पेन्ट शर्ट पहनकर बैठे व्यक्ति की और ईशारा करके बताया कि जो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही श्री हरपाल सिंह हैड साहब है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहियान के उक्त कमरे मे प्रवेश कर उक्त व्यक्ति को अपना, दोनो गवाहन एवं ब्यूरो स्टाफ का परिचय देकर उसको अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपनी कुर्सी से उठकर अपनी नजरे झुका ली और उसके चेहरे की हवाईयां उड गयी और वह कुछ नही बोला। इस पर उक्त व्यक्ति को तस्सली देकर उससे उसका पुनः परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कलवाराम जाति– जाटव, उम्र 58 साल, निवासी– ढण्डाका, पुलिस थाना– नगर , जिला– भरतपुर हाल मुख्य आरक्षक नं. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादुरपुर, थाना सदर, जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त श्री हरपाल को परिवादी से आज दिनांक 14.10.2022 को सुबह मांगी गई एवं अभी ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो श्री हरपाल ने बताया कि यह हाकिमदीन सुबह मेरे पास आया था, तब इसने मेरे से इसकी माताजी श्रीमति सुफेदा द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 564/22 अन्तर्गत धारा 379/366 मे इसके भाई की विधवा पत्नि जुबेदा के न्यायालय मे करवाये गये 164 जा.फौ. के बयानों की नकल लेने हेतु मेरे से बात की थी, तब मैने इसे कहा था कि मैने उक्त मामले मे एफ.आर. लगा दी है, उसके बयानो की नकल न्यायालय से ही लेने हेतु कहा था, तब मैने इससे अपनी माताजी को न्यायालय मे एफ.आर. पेश करने हेतु लेकर आने के लिये कहा था तथा मैने इसके मुकदमे मे मुल्जिम के खिलाफ ठौस कार्यवाही करने व 164 जा.फौ. के बयानो की नकल देने/ दिलवाने की एवज मे इससे कोई पैसों की मांग नही की थी। अभी कुछ देर पहले यह मेरे पास आया और इसने मेरे से 164 जा.फौ. के बयानो की नकल के बारे मे पूछा तब मैने इसे कल नकल लाकर देने हेतु कहा तब इसने मुझे अपनी जेब से 500–500 रूपये के कुछ नोट निकाल कर दिये तो मैने इससे पूछा की कितने है, तब इसने कहा कि छः हजार रूपये है। इससे मैनें उन नोटो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर नोटो को गिना तो उनमे 500–500 रूपये के 12 नोट कुल छः हजार रूपये थे, जिनको मैने अपने हाथ से ही मेरी इस टेबल पर रखी हुई प्लास्टिक की टोकरी के नीचे रखे कागजात के नीचे रखे है, जो अभी इसके नीचे ही रखे हुये है। इसके बाद यह मेरे कमरे एवं चौकी से बाहर चला गया था।

इस पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हाकिमदीन ने स्वतः ही बताया कि साहब यह झूंठ बोल रहा है। मेरे भाई की विधवा पत्नि जुबेदा को पंकज वर्मा नाम का एक लडका भगा ले गया, जिस पर मेरी माताजी सुफेदा ने उसके खिलाफ पुलिस थाना सदर अलवर मे मुकदमा नं. 564/22 दर्ज करवाया था, जिसकी जांच इनके द्वारा की जा रही है। उक्त जांच के दौरान इन्होने जुबेदा के न्यायालय मे 164 के बयान करवाये थे, जिनकी नकल के लिये मै इनसे मिला तो इन्होने मेरे से जुबेदा के न्यायालय मे करवाये गये 164 के बयान की नकल देने एवं उस लडके के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की एवज मे छः हजार रूपये रिश्वत के मांगे। इस पर मै आज सुबह आपके विभाग के टेप को लेकर अपने मिलने वाले श्री रामसिंह शर्मा सरपंच को अपने साथ लेकर इससे यही चौकी मे आकर मिले तो इसने हमसे जुबेदा के न्यायालय मे करवाये गये 164 के बयान की नकल देने एवं उस लडके के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की एवज मे छः हजार रूपये रिश्वत के मांगे ओर उक्त राशि जल्दी ही लाकर देने के लिये कहा था। उसी क्रम मे मै अभी कुछ देर पहले इनके पास उक्त कमरे मे आया तो ये यही पर बैठे मिले। जिनसे मेने जुबेदा के न्यायालय मे करवाये गये 164 के बयान की नकल के बारे मे बात की तो इन्होने उनकी नकल कल लाकर देने को कहा। इस पर मैने इनकी मांग अनुसार अपने पास रखे हुये पाऊडर लगे 06,000 रूपये की रिश्वत इनको दी तो इन्होने मेरे से रूपयों के बारे मे पूछा की कितने है तो मैने इनको कहा कि छः हजार है। इस पर इन्होने मेरे से रूपयों को अपने दाहिने हाथ मे लेकर उन्हे अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने बैठने की कुर्सी के सामने रखी हुई इस टेबल पर आगे की साईड दीवार के पास मे रखी प्लास्टिक की टोकरी के नीचे रखे कागजो के नीचे टेबल पर रूपयों को उसने अपने हाथ से रखे है।

मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस चौकी बहादूरपुर मे रखे हुये पानी के कैम्पर से एक बोतल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे हाजरीन के समक्ष उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हरपाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री हरपाल के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री हरपाल से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने अपनी बैठने की कुर्सी के सामने रखी टेबल पर आगे की साईड मे दीवार के पास रखी हुई एक प्लास्टिक की टोकरी के नीचे रखे हुये होना बताया। इस पर गवाह श्री सन्तोष कुमार से उक्त टोकरी को हटाकर उसके नीचे रखे हुये नोटो को उठाने के लिये कहा गया। जिस पर गवाह सन्तोष कुमार ने टोकरी को उठाया तो उसके नीचे रखे कागजो मे रखे कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर के पत्र क्रमांक प6 कम्प/() 10225/अ.शा./अल/2022 दिनांक 26.2.22 परिवाद सैल के संलग्न किये हुये कागजो के नीचे टेबल पर 500 रूपये के नोट मे सिमटे हुये कुछ रूपये रखे हुये मिले। उक्त नोटों को गवाह श्री सन्तोष कुमार से उठवाकर गिनवाये गये तो गवाह ने नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 12 नोट कुल छः हजार रूपये होना बताया। इस पर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा नोटो को गवाह श्री सन्तोष कुमार के पास ही सुरक्षित रखवाये गये तथा नोटो पर रखे हुये कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर के पत्र क्रमांक प6 कम्प/() 10225/अ.शा./अल/2022 दिनांक 26.2.22 परिवाद सैल के संलग्न किये हुये कागजो को भी उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये।

ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ काँच के गिलास को निकालकर उसे हाजरीन के समक्ष साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से साफ रूई का फौवा निकालकर रिश्वत राशि टेबल के जिस स्थान एवं उपरोक्त पत्र के संलग्न कागजात के जिस स्थान को छुये हुई थी, उस स्थान पर रूई के फौवे को घुमाकर उस रूई के फौवे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर उसका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क T -1, T -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा रूई को फौवे को सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड करवाकर उस थैली पर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क F अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री हरपाल से परिवादी से संबंधित प्रकरण की पत्रावली के बारे मे पूछा गया तो उसने उक्त प्रकरण मे एफ.आर. लगाकर न्यायालय मे पेश करने हेतु पुलिस थाना सदर अलवर पर भिजवाने हेतु बताया।

चूँकि घटना स्थल पर बैठकर कार्य करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं ग्रामीण क्षैत्र होने से बार बार लाईट जाने की समस्या होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किये जाने योग्य उपयुक्त स्थान नही होने के कारण जब्तशुदा आर्टीकल्स को सुरक्षित हालात मे ट्रेप बॉक्स मे रखकर परिवादी हाकिमदीन, आरोपी श्री हरपाल, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप इत्यादि सहित हमराह लेकर गये वाहन मे बैठाकर अपने हमराह लेकर पुलिस चौकी बहादूरपुर से समय 04.45 पी.एम. पर रवाना होकर पुलिस थाना सदर, अलवर पर पहुंच कर एच.एम. क्राईम को मुकदमा नं. 564/22 की पत्रावली थानाधिकारी के साथ ब्यूरो चौकी पर भिजवाने के निर्देश देते हुए वहां से रवाना होकर समय 5.30 पी. एम. पर ब्यूरो चौकी अलवर प्रथम पर हाजिर आया। सभी हमराहियान को वाहनो से उतारकर कार्यालय मे स्थित अपने कक्ष मे बैठाया जाकर एवं ट्रेप बॉक्स को कार्यालय मे सुरक्षित रखकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। गवाह श्री सन्तोष कुमार के पास मौके से बरामदशुदा रिश्वती राशि रखवाई गई थी, को पेश करने हेतु कहा तो उसने अपने पास से बरामदशुदा रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। नोटो का विवरण फर्द मे अंकित किया गया।

गवाह ने अपने पास से रिश्वत राशि पर रखा हुआ कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर के पत्र क्रमांक प 6 कम्प/() 10225/अ.शा./अल/2022 दिनांक 26.2.22 परिवाद सैल एवं उसके संलग्न किया हुआ जिला कलक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट अलवर का कार्यालय पत्र क्रमांकः न्याय/ 2022/4735 दिनांक 23 अगस्त 2022 जो जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को अग्रेषित किया हुआ है तथा उसके संलग्न श्री इन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री धन्नाराम सैनी, जाति माली निवासी बहादूरपुर, पुलिस थाना सदर जिला अलवर द्वारा जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित किये हुये शिकायत पत्र की फोटो प्रति है, उक्त शिकायत पत्र के जिस स्थान को रिश्वत राशि टच किये हुये थी, उस स्थान पर लाल स्याही से गोला बनाकर उसमे संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त तीनो कागजो एवं बरामद शुदा रिश्वती राशि के उपरोक्त 500–500 रूपये के 12 नम्बरी नोटो राशि 06,000 रूपये को एक साथ कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। परिवादी एवं आरोपी श्री हरपाल को अलग–अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने बाबत बताया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 09.15 पी.एम. पर आरोपी श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कलवाराम जाति– जाटव, उम्र 58 साल, निवासी– ढण्डाका, पुलिस थाना– नगर , जिला– भरतपुर हाल मुख्य आरक्षक नं. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादुरपुर, थाना सदर, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री हाकिमदीन की माताजी श्रीमति सुफेदा पत्नि निजामुदीन निवासी बहादुरपुर द्वारा अपनी पुत्रवधु श्रीमति जुबेदा का अपहरण करने बाबत पुलिस थाना सदर अलवर मे दर्ज करवाये गये प्रकरण सं. 564/22 अन्तर्गत धारा 379, 366 भादसं. मे उक्त श्रीमति जुबेदा के सक्षम न्यायालय मे करवाये गये 164 जा.फौ. के बयानों की प्रति देने एवं उक्त प्रकरण मे परिवादी की मदद करने के नाम पर दिनांक 14.10.2022 को रिश्वत राशि की मांग के सत्यापन के दौरान अपने स्वंय के लिये 6,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं अपने उक्त रिश्वत मांग के क्रम मे परिवादी से दिनांक 14.10.2022 को ही अपने स्वंय के लिये 06,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथ से ग्रहण करने एवं परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 06,000 रूपये उक्त आरोपी के कब्जे से बरामद होने से इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 के तहत प्रथम दृष्टया कारित होना पाया जाने पर आरोपी को इनके द्वारा किये गये अपराध एवं उसके संवैधानिक अधिकारो के बारे मे अगाह किया जाकर कानूनी प्रावधानो की पालना करते हुये से उसे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

समय 10.00 पी.एम. पर तलबिदा श्री अजीत सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर अलवर ब्यूरो चौकी अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होकर पुलिस थाना सदर के मुकदमा नं. 564/22 अन्तर्गत धारा 379,366 भादंस. से संबंधित अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 396/2022 दिनांक 23.07.2022 की मूल पत्रावली पेश की और पत्रावली का अवलोकन कर बताया कि पुलिस थाना सदर जिला अलवर पर दर्ज मुकदमा नं. 564/22 अन्तर्गत धारा 379,366 भादंस. श्रीमती सुफेदा पत्नि श्री निजामुदीन, निवासी बर्डोद, तहसील बहरोड ,जिला अलवर की रिपोर्ट पर दिनांक 20.6.2022 को दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री हरपाल हैड कानि. 05 पुलिस चौकी बहादूरपुर द्वारा किया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान से मामला अदम वकू झूंठ का पाया जाने पर वृत्ताधिकारी ग्रामीण अलवर से प्रकरण मे एफ.आर. अदम वकू झूंठ मे देने के आदेश दिनांक 23.07.2022 को प्राप्त कर इसमे अन्तिम प्रतिवेदन सं. 396/2022 दिनांक 23.07.2022 अदम वकू झूंठ मे कता की हुई है। अनुसंधान अधिकारी ने अपहर्ता श्रीमती जुबेदा पत्नि स्व. श्री नूर मोहम्मद को दिनांक 14.07.2022 को प्लस अस्पताल कोटपूतली, पावटा रोड कोटपूतली से परिवादी हाकिमदीन की पहचान पर दस्तयाब कर अनुसंधान करने का उल्लेख केस डायरी सं. 0564/4 दिनांक 14.07.2022 मे किया हुआ है तथा दिनांक 16.7.2022 को अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.02 अलवर के समक्ष पेश करके उसके अन्तर्गत धारा 164 जा.फौ. के तहत बयान लेखबद्व करवाकर उसको पंकज पुत्र रामसिंह जाति चमार निवासी नांगल नूनियां, थाना नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा को अस्थाई सुपुर्दगी पर देने का उल्लेख केस डायरी सं.05 दिनांक 16.7.2022 मे किया हुआ है। उक्त प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 14.10.2022 तक अनुसंधान अधिकारी श्री हरपाल हैड कानि. 5 पुलिस चौकी बहादूरपुर के कब्जे मे उसके पास चौकी पर ही थी, जो वहां से मंगवाकर लेकर आया हूँ । प्रकरण मे अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय मे पेश करना शेष होने के कारण मूल अनुसंधान पत्रावली श्री अजीत सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर अलवर को सुपुर्द की गई तथा उसमे उपलब्ध समस्त दस्तावेजो की फोटो कॉपियां करवाकर उन्हे श्री अजीत सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर अलवर से प्रमाणित करवाकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत थाने के जुरायम रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त कर उन पर पेज नम्बर 01 लगायत 48 तक अंकित करवाकर परिवादी, दोनो गवाहान के पेज नम्बर 01 एवं 48 पर हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे लिया।

दिनांक 15.10.2022 को समय 12.30 ए.एम. पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 14.10.2022 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में परिवादी श्री हाकिमदीन एवं आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड

कानि. के मध्य हुई रूबरू रिकार्डशुदा वार्ताओं की प्रक्रियानुसार रिकार्डशुदा वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री हाकिमदीन द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मूल एस.डी. कार्ड **Sandisk 16 GB** के **फोल्डर नं. 01 मे** परिवादी व आरोपी श्री हरपाल सिंह हैड कानि. के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ताऐं तथा **फोल्डर नं0 2 में** रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. कार्ड **Sandisk 16 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क **S** अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही उक्त कार्यवाही मे उपयोग ली गई ब्राशसील का नमूना फर्द पर अंकित किया जाकर उक्त ब्राश सील को रूबरू मौतबिरान तुडवाकर नष्ट किया गया। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील नं. 57 पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात समय 08.15 ए.एम. पर परिवादी श्री हाकिमदीन एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही होने पर उन्हे ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से आमदा स्टाफ सदस्य सर्वश्री रामजीत कानि. 209 एवं श्री रामवीर कानि. को जाय तैनाती रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कलवाराम जाति– जाटव, उम्र 58 साल, निवासी– ढण्डाका, पुलिस थाना– नगर , जिला– भरतपुर हाल मुख्य आरक्षक नं. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादुरपुर, थाना सदर, जिला अलवर द्वारा द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्य के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री हाकिमदीन की माताजी श्रीमति सुफेदा पत्नि निजामुदीन निवासी बहादुरपुर द्वारा अपनी पुत्रवधु श्रीमति जुबेदा का अपहरण करने बाबत पुलिस थाना सदर अलवर मे दर्ज करवाये गये प्रकरण सं. 564/22 अन्तर्गत धारा 379, 366 भादसं. मे उक्त श्रीमति जुबेदा के सक्षम न्यायालय मे करवाये गये 164 जा.फौ. के बयानों की प्रति देने एवं उक्त प्रकरण मे परिवादी की मदद करने के नाम पर दिनांक 14.10.2022 को रिश्वत राशि के गांग सत्यापन के दौरान अपने स्वंय के लिये 6,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं अपने उक्त रिश्वत मांग के क्रम मे परिवादी से दिनांक 14.10.2022 को ही अपने स्वंय के लिये 06,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथ से ग्रहण करने एवं परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 06,000 रूपये उक्त आरोपी के कब्जे से बरामद होने से इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 के तहत प्रथम दृष्टया कारित होना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. श्री कलवाराम जाति– जाटव, उम्र 58 साल, निवासी– ढण्डाका, पुलिस थाना– नगर, जिला– भरतपुर हाल मुख्य आरक्षक नं. 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादुरपुर, थाना सदर, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री कलवा राम, मुख्य आरक्षक, नम्बर 05, प्रभारी, पुलिस चौकी बहादुरपुर, पुलिस थाना सदर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 409/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार करा कर तफ्तीश जारी है।

15.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3553-57 दिनांक 15.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

15.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर